

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खंड 2 में प्रकाशनार्थ)

सं 13017/42/2012-एआईएस (I)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


\*\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 19 मार्च, 2013

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखंड सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से केंद्र सरकार एतद्वारा श्री अजय कुमार जोशी, आईएस (यूके:77) की, उत्तराखंड संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को एक विशेष मामले के रूप में उनकी सेवा की शेष अवधि अर्थात्, 31.12.2013 उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अनुकंपा आधार पर अनुमोदन प्रदान करती है।



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव भारत सरकार

टेलीफोन : 23092695

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)


सं.13017/42/2012;एआईएस (I)

नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक

मार्च, 2013

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून को उनके दिनांक 24.05.2012 के पत्र सं. 700/थर्टी-1/2010-02(06)/2012 के संदर्भ में
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को उनके दिनांक 10.09.2012 के पत्र सं. 3372/2-2012-4/1(90)/81.टीसी,
3. महालेखापाल, उत्तराखंड, देहरादून
4. महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. श्री अजय कुमार जोशी, आईएएस (यूके:77) (मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार के माध्यम से)
6. निदेशक (एसएम) को उनके दिनांक 12.03.2013 के नोट सं. 37/50/2012-ईओ(एसएम-1) के संदर्भ में।
7. गार्ड फाइल



(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव भारत सरकार

टेलीफोन : 23092695

आंतरिक वितरण

एआईएस (II)/अनुभाग अधिकारी (सीएम)/ईओ(पीआर)/ईओ(एसएम)/ एनआईसी (अधिसूचना को सरकारी वेबसाइट पर डालने के लिए)